vinetur

ब्राज़ील में बार और रेस्तरां 16 दिसंबर से कार्य-सप्ताह घटाकर 42 घंटे करेंगे

नए नियम से आम 6x1 व्यवस्था खत्म होगी, सप्ताह में दो दिन अवकाश मिलेगा, वेतन कटौती रुकेगी और प्रति घंटे श्रम लागत बढ़ेगी

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



ब्राज़ील में बार, रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र के अन्य नियोक्ताओं को 16 दिसंबर से नए श्रम नियमों के तहत कर्मचारियों के काम के घंटे घटाने होंगे। इन नियमों में साप्ताहिक सीमा 42 घंटे तय की गई है, हर सप्ताह दो दिन अवकाश अनिवार्य है और वेतन में किसी भी तरह की कटौती पर रोक है। रेस्तरां के लिए इसका अर्थ है कि समान मासिक वेतन पर हर कर्मचारी से कम घंटे काम लिया जा सकेगा। DIAP के अनुसार, नियम में इस क्षेत्र के लिए किसी विशेष छूट का उल्लेख नहीं है।

DIAP के मुताबिक, ब्राज़ील के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 2,041/2026 सोमवार, 23 नवंबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुआ। यह नया ढांचा बताता है कि कंपनियों और कर्मचारियों को संवैधानिक संशोधन संख्या 141/2026 के तहत तय कार्य-सप्ताह में कटौती के अनुरूप कैसे ढलना होगा। इस उपाय से आम 6x1 व्यवस्था भी समाप्त होती है—यानी लगातार छह दिन काम और एक दिन अवकाश की वह प्रणाली, जो लंबे समय तक खुलने वाले सेवा व्यवसायों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है।

काम के घंटों में कटौती दो चरणों में होगी। DIAP की रिपोर्ट के अनुसार, साप्ताहिक सीमा 16 दिसंबर को घटकर 42 घंटे

हो जाएगी और फिर 16 दिसंबर, 2027 को 40 घंटे रह जाएगी। दोनों चरणों में नियोक्ता वेतन घटा नहीं सकेंगे। आतिथ्य उद्योग में, जहां कर्मचारियों की लागत खुलने के घंटों, भोजन के समय और सप्ताहांत की मांग से सीधे जुड़ी होती है, इसका मतलब है कि समान मासिक वेतन में नियमित काम के घंटे कम होंगे।

इस बदलाव से काम के हर घंटे का मूल्य भी बढ़ेगा। DIAP द्वारा बताए गए अध्यादेश के तहत, 42 घंटे के कार्य-सप्ताह वाले कर्मचारियों के प्रति घंटे के वेतन की गणना के लिए मासिक वेतन को 210 से और 2027 में 40 घंटे की सीमा लागू होने के बाद 200 से विभाजित किया जाएगा। व्यावहारिक रूप से, मासिक वेतन घटाए बिना अधिकतम साप्ताहिक सीमा 44 घंटे से घटाकर 42 घंटे करने पर प्रति घंटे का वेतन लगभग 4.8% बढ़ जाता है। प्रति घंटे का यह ऊंचा आधार ओवरटाइम और रात की शिफ्ट के भत्तों को भी प्रभावित करेगा, जिससे देर रात सेवा या लंबे समय तक कारोबार करने वाले व्यवसायों की श्रम लागत बढ़ेगी।

नए अवकाश नियम का रेस्तरां और बार पर खास असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि वे अक्सर अलग-अलग समय की शिफ्ट और सप्ताहांत के काम पर निर्भर रहते हैं। कर्मचारियों को हर सप्ताह दो दिन अवकाश मिलेगा, लेकिन दोनों दिन लगातार होना जरूरी नहीं है। अध्यादेश के DIAP के ब्यौरे के अनुसार, इनमें से एक दिन अधिमानतः रविवार को होना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी के जरिए वैकल्पिक कार्य-व्यवस्थाओं पर अब भी सहमति हो सकती है, बशर्ते महीने के दौरान औसतन हर सप्ताह दो दिन का अवकाश मिले।

अध्यादेश में निर्धारित अवकाश के दिन कर्मचारियों से काम कराने पर वित्तीय परिणाम भी तय किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी से साप्ताहिक अवकाश के लिए तय दिन काम कराया जाता है, तो उस दिन का दोगुना भुगतान करना होगा, जब तक कि उसी सप्ताह कर्मचारी को इसके बदले अवकाश न दिया जाए। छुट्टियों के दौरान ग्राहकों की भीड़, आयोजनों की सेवा या व्यस्त सप्ताहांत पर निर्भर आतिथ्य कारोबारों के लिए इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अवकाश के समय काम पर लगाने की गुंजाइश कम होगी—जब तक कि जल्द ही बदले में अवकाश न दिया जाए या अतिरिक्त भुगतान न किया जाए।

नए नियमों के तहत घंटे, दिन, काम, इकाई या कमीशन के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों की आय में भी कमी नहीं होनी चाहिए। DIAP ने बताया कि अध्यादेश के अनुसार इन वेतन दरों में ऐसा समायोजन करना होगा कि काम के घंटों में कटौती से मासिक कमाई कम न हो। खाद्य सेवा क्षेत्र में यह प्रावधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां भूमिका और प्रतिष्ठान के अनुसार पारिश्रमिक में काफी अंतर हो सकता है। इसमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनका वेतन उत्पादन, बिक्री या बदलते कार्य-समय के आधार पर बदलता है।

श्रम मंत्रालय ने कुछ विशेष कार्य-समय व्यवस्थाएं जारी रखी हैं। 12x36 प्रणाली—जिसमें कर्मचारी लगातार 12 घंटे काम करता है और फिर 36 घंटे आराम करता है—की अनुमति बनी रहेगी। लेकिन यदि इस व्यवस्था में काम किए गए घंटों का औसत नई साप्ताहिक सीमा से अधिक होता है, तो अतिरिक्त घंटों का बदला देना होगा या उन्हें ओवरटाइम के रूप में भुगतान करना होगा। यह बात आतिथ्य कारोबार के उन हिस्सों के लिए प्रासंगिक है जहां होटल, आयोजन स्थलों, सुरक्षा, रखरखाव या रातभर चलने वाले कामों में लंबी शिफ्टें इस्तेमाल होती हैं।

DIAP ने यह भी बताया कि अध्यादेश में उन कर्मचारियों के लिए विशेष नियम हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्री है और जिनकी कमाई ब्राज़ील की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की अधिकतम सीमा के कम से कम 2.5 गुना है। इन मामलों में भी सप्ताह में दो दिन अवकाश का अधिकार बरकरार रहेगा। इसलिए यह उपाय नियोक्ताओं की उस क्षमता को सीमित करता है जिसके तहत वे नए अवकाश ढांचे से बचने के लिए अधिक वेतन वाले व्यक्तिगत अनुबंधों का सहारा ले सकते हैं।

अध्यादेश पर DIAP की रिपोर्ट के मुताबिक, नए नियमों से टकराने वाले सामूहिक समझौते और यूनियन अनुबंध लागू नहीं रहेंगे, हालांकि कर्मचारियों के लिए अधिक अनुकूल शर्तें वैध बनी रहेंगी। नियमन में निरीक्षण प्रक्रियाओं और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुरक्षा-उपायों का भी विवरण है। इससे यूनियनों और नियोक्ताओं पर 16 दिसंबर की शुरुआत से पहले

कार्य-समय पर फिर से बातचीत करने का दबाव बढ़ेगा—खासकर रेस्तरां जैसे क्षेत्रों में, जहां कर्मचारियों की व्यवस्था लंबे समय से छह-दिवसीय कार्य-सप्ताह पर निर्भर रही है।